:: आदेश ::

प्रधान कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–20763 / स्थापना / 2012–13 दिनांक 18.01.13 द्वारा प्रतिनिधायित किए गए वित्तीय अधिकारों, आदेशांक 61136 / स्थापना / 2015–16 दिनांक 10.08.15 द्वारा गठित विनियोजन समिति एवं आदेशांक 62681 / स्थापना / 2015–16 दिनांक 16.09.15 द्वारा खातों के परिचालन विषयक आदेश को निम्नवत् संशोधित किया जाता है–

1. बैंक के वित्तीय प्रबन्ध हेतु समस्त प्रकार के फाइनेंशियल / नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे–चेक, ड्राफ्ट, बॉण्ड, एफ0 डी0 आर0 आदि को हस्ताक्षरित करने, निर्गमित करने एवं डिस्चार्ज करने हेतु महाप्रबन्धक (लेखा), उपमहाप्रबन्धक (लेखा), प्रबन्धक श्रेणी–3 (लेखा / ऋणपत्र) तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी मे किन्ही दो अधिकारियों को संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया जाता है।
2. ऋण पत्र धारकों को भुगतान करने का अधिकार महाप्रबन्धक (लेखा), उपमहाप्रबन्धक (लेखा), व प्रबन्धक श्रेणी–3 (ऋणपत्र) की समिति मे लिए गए निर्णय के अनुसार किया जाएगा।
3. बैंक के विभिन्न खातों का परिचालन, सेवारत व सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों के वेतन एवं अन्य देयों की स्वीकृत एवं भुगतान, प्रशिक्षण केन्द्र को सामान्य व्यय हेतु धन भेजने, प्रबन्ध निदेशक की स्वीकृति के आधार पर शाखाओं को ऋण वितरण हेतु धन प्रेषण हेतु महाप्रबन्धक (लेखा), उपमहाप्रबन्धक (लेखा), तथा प्रबन्धक श्रेणी–3 (लेखा / ऋणपत्र) / आहरण वितरण अधिकारी मे से किन्ही 02 अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
4. बैंक निधियों का विनियोजन, सरप्लस धनराशि का अल्पकालिक निक्षेप मे विनियोजन मुख्य महाप्रबन्धक (प्रशासन), महाप्रबन्धक (लेखा), महाप्रबन्धक (ग्रेच्युटी) उपमहाप्रबन्धक (लेखा), तथा प्रबन्धक श्रेणी–3 (ऋणपत्र) की समिति द्वारा भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा।

29.12.16

(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ ।

आदेशांक : 66283 / स्थापना / 2016–17 दिनांक : 29/12/16

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0।
2. समस्त अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय लखनऊ।
3. उपमहाप्रबंधक (आई0 टी0 सेल) को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

29.12.16

(आर0 बी0 गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक (प्रशासन)